UPKU010000172004

न्यायालय– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं० 3, कुशीनगर स्थान–पडौरना।

सत्र परीक्षण सं०–34/2004

सरकार बनाम छोटेलाल।

मु०अप०सं०– 23/2000,
धारा–147,148,149,
302,307 भा०दं०सं०
थाना–बरवापट्टी,
जिला–कुशीनगर।

दिनांकः 10.06.2025

पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली वास्ते आदेश अन्तर्गत धारा–299 दं०प्र०सं० हेतु नियत है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.06.2025 के द्वारा अभियुक्त छोटेलाल पुत्र शारदा को फरार घोषित कर वाद की कार्यवाही धारा–299 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत अग्रसारित की जा चुकी है। अभियोजन की ओर से पूर्व में साक्षी पी०डब्लू–1 के रूप में रामदेव को परीक्षित किया जा चुका है। अभियुक्त दिनांक 25.07.2024 से अनुपस्थित है तथा अभियोजन की ओर से अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं किया गया। प्रस्तुत मामले में सम्पूर्ण प्रकरण पर विचार करते हुए इस मामले की कार्यवाही धारा–299 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत समाप्त करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध स्थायी रूप से गैर जमानतीय वारण्ट जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

सत्र परीक्षण सं०– 34/2004 में अभियुक्त **छोटेलाल पुत्र शारदा, साकिन–लक्ष्मीपुर, थाना–बरवापट्टी, जिला–कुशीनगर** के विरूद्ध स्थायी रूप से गैर जमानतीय वारण्ट (NBW) जारी किया जाता है। अभियुक्त के विरूद्ध स्थायी NBW संबंधित थाना एवं पुलिस अधीक्षक को प्रेषित हो। इस प्रकरण से संबंधित समस्त मूल प्रपत्र स्थायी रूप से सुरक्षित रखे जायें, विनिष्ट न किये जाये। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो। अभियुक्त के गिरफ्तार होने की दशा में पुनः पत्रावली तलब करते हुए कार्यवाही हेतु पेश हो।

(आनन्द प्रकाश–III)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं० 3,
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

Digitally signed by ANAND PRAKASH
Date: 2025.06.10 16:01:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court